



बस्ती विकास प्राधिकरण

ठेकेदारों के
पंजीकरण / नवीनीकरण
नियमावली

वर्ष 2023-24

मूल्य रु0.2500.00 + 18% GST
रु0 2,950 /—

Email-sachiv.bda.bs-up@gov.in
www.bdabasti.in



बस्ती विकास प्राधिकरण

..... श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र
(वित्तीय वर्ष 2023-24)

आवेदन पत्र का क्रमांक :-

- 1- फर्म का नाम
- 2- भागीदारों के नाम (1 2.
3.)
- 3- पूरा पता
आधार नं० मो.नं. ई-मेल
- 4- स्वामित्व / पार्टनरशिप / कम्पनी का प्रकार
- 5- स्टाफ की संख्या नाम व पत्र (संलग्नक-1)
- 6- वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में परिशिष्ट सं०-3 के अनुसार (संलग्नक-2)
- 7- पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान व पत्र (समस्त भागदारी/निदेशकों का) (संलग्नक-3)
- 8- दो नवीनतम प्रमाणित फोटो। (समस्त भागीदार/निदेशकों की)
- 9- पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न/फार्म 26 ए.एस. (संलग्नक-4अ) व बैलेन्सशीट (संलग्नक-4ब) तथा पैनकार्ड (संलग्नक-4स) जी.एस.टी. (संलग्नक-4द) ई.पी.एफ. का पंजीकरण प्रमाण पत्र (संलग्नक-4य) ई. एस.आई. का पंजीकरण प्रमाण पत्र (संलग्नक-4र) एवं जी.एस.टी. (संलग्नक-4ल) संलग्न करें। यदि लागू न हो तो इस आशय का शपथ पर संलग्न करें।
- 10- इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर अथवा उसका सम्बन्धी/रिश्तेदार बस्ती विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। ब्लड रिलेशन (निकट सम्बन्धी) का तात्पर्य पिता, माता, बहन भाई, वहनोई, लड़का, लड़की, ससुर, दामाद, स्वयं की पत्नी, ससुर के चचेरे भाई से है) (संलग्न-5)
- 11- निर्माण/विकास कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची (संलग्न-6)
- 12- पिछले चार वर्षों में किये गये निर्माण/विकास कार्यों के विवरण की सूची (संलग्नक-7)
- 13- सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्गत निर्माण व विकास कार्यों के विवरण का अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्नक-8)
- 14- डिग्री/डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता की डिग्री/डिप्लोमा की प्रतिलिपि (संलग्नक-9)
- 15- पार्टनरशिप फर्म के लिये पार्टनरशिप डीड एवं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का प्रमाण पत्र, कम्पनियों के लिये मेमोरेन्डम आफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा पंजीकरण पत्र एवं प्रोपराईटर हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्नक-10)
- 16- विद्युत कार्य के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये शासन द्वारा निर्गत 'क' श्रेणी/'क' श्रेणी अनुमोदित वर्तमान में वैध लाइसेन्स प्रस्तुत करना होगा। (संलग्नक-11)

नवीनतम सत्यापित
पासपोर्ट साइज का
फोटोग्राफ
(सभी भागीदार के)

बस्ती विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्तें

मवनों के निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदार वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु किसी भी समय निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु पात्र होंगे :-

श्रेणी	सिविल कार्य	विद्युत कार्य
'ए' श्रेणी	रु. 100.00 लाख से अधिक	रु. 50.00 लाख से अधिक
'बी' श्रेणी	रु. 50.00 लाख से अधिक रु. 100.00 लाख तक	रु. 25.00 लाख से अधिक रु. 50.00 लाख तक
'सी' श्रेणी	रु. 20.00 लाख से अधिक रु. 50.00 लाख तक	रु. 10.00 लाख से अधिक रु. 25.00 लाख तक
'डी' श्रेणी	रु. 10.00 लाख से अधिक रु. 20.00 लाख तक	रु. 5.00 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख तक
'ई' श्रेणी	रु. 10.00 लाख तक	रु. 05.00 लाख तक

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश दिनांक 24.04.2018 के अनुसार रु. 10 लाख से अधिक धनराशि के समस्त निर्माण एवं विकास कार्यों की निविदायें ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित एवं प्राप्त की जाएगी तथा निविदा में भाग लेने वाले समस्त निविदादाताओं को उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि., लखनऊ अथवा कन्ट्रोलर ऑफ सर्टीफाइंग अथॉरिटीज या उनके रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज में से किसी एक संस्था से निर्धारित शुल्क जमा करके डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा। इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देश प्रभावी होंगे।

प्राधिकरण में सिविल कार्यों हेतु ए श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु. 01 करोड़ से अधिक मूल्य के कार्यों की निविदा में भाग ले सकेंगे। रु. 2.00 करोड़ से अधिक के सिविल कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार भी निविदा डालने के लिये अधिकृत होंगे। इसी प्रकार प्राधिकरण में विद्युत कार्यों हेतु ए श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु. 50.00 लाख तक एवं उससे अधिक मूल्य के विद्युतीकरण कार्यों की निविदा में भाग ले सकेंगे। रु. 1.00 करोड़ से अधिक के विद्युत कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार/फर्म जो निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त 'क' श्रेणी अनुमोदित लाइसेन्स धारक है, भी निविदा डालने के लिये अधिकृत होंगे, परन्तु शर्त यह होगी कि उनकी निविदा स्वीकृत होने पर उन्हें विभाग में नियमानुसार पंजीकरण, सम्बन्धित कार्य के अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से कराना होगा। ऐसी समस्त निविदायें टू-बिड पद्धति के माध्यम से विशेष नियमों / शर्तों के अन्तर्गत आमंत्रित की जायेगी। विशिष्ट प्रकृति के कार्यों की निविदायें भी टू-बिड पद्धति से आमंत्रित की जायेगी तथा इनकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी।

2. निविदा आमंत्रण की तिथि को प्राधिकरण में कोई भी पंजीकृत ठेकेदार निम्नानुसार सीमा से अधिक मूल्य के कार्य एक समय में करने के लिये अर्ह नहीं होगा :-

क्र.सं.	श्रेणी	सिविल कार्य	विद्युत कार्य
1.	"ए"	रु. 100.00 लाख से अधिक	रु. 50.00 लाख से अधिक
2.	"बी"	रु. 100.00 लाख तक	रु. 50.00 लाख तक
3.	"सी"	रु. 50.00 लाख तक	रु. 25.00 लाख तक
4.	"डी"	रु. 20.00 लाख तक	रु. 10.00 लाख तक
5.	"ई"	रु. 10.00 लाख तक	रु. 05.00 लाख तक

नोट: सभी कार्यों का मूल्यांकन निविदा आमंत्रण की तिथि को चालू कार्यों के अन्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों की लागत तथा आमंत्रित निविदा कार्य की लागत को जोड़कर किया जायेगा। अवशेष कार्यों की लागत का आकलन स्वीकृत निविदा लागत के भुगतान की गयी धनराशि को घटाकर किया जायेगा।

- फर्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खोला जायेगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों, बस्ती विकास प्राधिकरण की वेबसाइट व कार्यालय सूचना पट के माध्यम से की जायेगी।
- निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता द्वारा आगणित दरों से निम्न निविदा डालने की स्थिति में शासनादेश संख्या

622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी.सी.-2 दिनांक 06.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत निम्न तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारन्टी एन.एस.सी./एफ.डी.आर. के रूप में अनुबन्ध निष्पादन से पूर्व विभाग में जमा करनी होगी।

6. वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंजीकृत ठेकेदारों को नवीनीकरण के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों एवं वर्क इन हैण्ड का विवरण परिशिष्ट सं.-5 के अनुसार सम्बन्धित अभियंत्रण खण्डों/अन्य विभागों से सत्यापित कराकर देना होगा। किये गये / किये जा रहे कार्यों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियन्ता से निम्न स्तर के अधिकारी का मान्य नहीं होगा। सभी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित दर्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
7. पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, कार्य में विलम्ब करना, अथवा अधूरा छोड़ना, फिनिशिंग ठीक न करना, अपराधिक मुकदमा/एफ.आई.आर. दर्ज होना, विभागीय कर्मचारियों / अधिकारियों से अभद्र व्यवहार, अनैतिक प्रशासनिक अथवा राजनैतिक दबाव करना आदि पर फर्म को (ब्लैक लिस्ट) काली सूची में दर्ज करने का अधिकार उपाध्यक्ष, बस्ती विकास प्राधिकरण का होगा।
8. सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि बिड कंपैसिटी के सापेक्ष कितने मूल्य के कार्य प्रचलित है तथा कितने मूल्य के कार्य आवेदित व प्रोसेसिंग में है।
9. सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा किये गये कार्यों में कितने कार्यों का निर्धारित समय सीमा, कितने कार्य निर्धारित समय सीमा से 10 प्रतिशत ज्यादा समय में पूर्ण किये गये तथा कितने कार्य 10 प्रतिशत से ज्यादा समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त पूर्ण किये गये हैं।
10. सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को निविदा के साथ कितने कार्यों पर जमानत धनराशि/अन्य जमानत धनराशि / बैंक गारन्टी आदि जब्त की गई है, का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
11. इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर उसका निकट का रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन निकट सम्बन्धी का तात्पर्य पिता, माता, बहिन, भाई, बहनोई, लड़का, लड़की, ससुर, दामाद और या स्वयं की पत्नी लड़के, लड़की, पिता, माता, ससुर के या सास के चचेरे भाई से है। (बस्ती विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है) यदि इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त कर उसकी फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
12. किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप Sub-Lease / Sub-Let / Sub-Contract करना (लिखित अथवा अलिखित रूप से) मान्य नहीं होगा, तथा फर्म को काली सूची में दर्ज करने का पर्याप्त आधार माना जायेगा।
13. किसी ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण, जिसने प्राधिकरण में सर्विस की हो, प्राधिकरण में सर्विस समाप्त होने के दो वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही किया जायेगा।
14. निविदा मूल्य निम्न प्रकार देय होगा :-

रु. 2.00 लाख तक	रु. 2000/- +18 प्रतिशत जी.एस.टी.
रु. 2.00 लाख से अधिक रु. 5.00 लाख तक	रु. 3000/- तदैव
रु. 5.00 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख तक	रु. 5000/- तदैव
रु. 10.00 लाख से अधिक रु. 25.00 लाख तक	रु. 7500/- तदैव
रु. 25.00 लाख से अधिक रु. 100.00 लाख तक	रु. 10,000/- तदैव
रु. 100.00 लाख से अधिक रु. 200.00 लाख तक	रु. 12,000/- तदैव

- रु. 200.00 लाख से अधिक रु. 500.00 लाख तक रु. 15000 /- तदैव
रु. 500.00 लाख तक रु. 20000 /- तदैव
15. सभी ठेकेदारों को जिला मजिस्ट्रेट नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र (जोकि पंजीकरण अवधि के लिए वैध हो) एवं निवास स्थान का पता सत्यापन कराकर देना होगा।
 16. प्रमाण पत्र के साथ लगायी जाने वाली फोटो राजपत्रित अधिकारी / नोटरी / प्राधिकरण के अधिशाषी अभियंता स्तर या उससे उच्च अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिये।
 17. सभी पंजीकृत ठेकेदारों को परिचय पत्र निर्गत किये जायेंगे जो किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
 18. विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय, अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसके फर्म के Payroll पर अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा दिये जायेंगे। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना होगा।
 19. निर्माण कार्यों पर संलग्न परिशिष्ट संख्या-1 में अंकित शैक्षिक योग्यता के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखा जायेगा जोकि फर्म के Payroll पर होगा।
 20. निर्माण कार्यों पर संलग्न परिशिष्ट संख्या-2 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा। यदि मशीनरी स्थल पर नहीं पायी जाती है तो संलग्न सूची के अनुसार मशीनरी का बाजार दर से किराया उसके बिल से काटा जायेगा।
 21. पंजीकरण शुल्क संलग्न परिशिष्ट संख्या-3 के अनुसार देय होगा, जो एक वित्तीय वर्ष (2023-24) तक मान्य होगा।
 22. लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 के अनुसार परिशिष्ट-4 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार राष्ट्रीयकृत / शिड्यूल बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा जो छः माह से पूर्व का निर्गत नहीं होना चाहिए।
 23. क्षमता निर्धारण हेतु गत चार वर्षों में बस्ती विकास प्राधिकरण में 'पूर्ण किये गये कार्य, किये जा रहे कार्य तथा अन्य विभागों में किये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट सं.-5 में देना होगा। अंकित विवरण के प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- (अ) आवेदक की टैन्जिबल नेटवर्थ का सत्यापन अन्तिम तीन वर्षों की आडिटेड बैलेन्सीट तथा आई.टी.आर. / 26 ए.एस. फार्म से किया जायेगा।
- (ब) 'डी' श्रेणी में पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु राष्ट्रीयकृत / शिड्यूल बैंक द्वारा जारी नेटवर्थ प्रमाण पत्र अथवा वैध हैसियत प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी द्वारा निर्गत) देना होगा। हैसियत प्रमाण पत्र परिशिष्ट-3 में उल्लिखित टैन्जिबल नेटवर्थ से कम नहीं होना चाहिए।
- (स) ठेकेदारों का पंजीकरण / नवीनीकरण, चरित्र प्रमाण पत्र / लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता तिथि जो भी पहले समाप्त होगी, तक ही मान्य होगा।
24. (1) सिविल कार्यों के पंजीकरण / नवीनीकरण के लिये विगत 4 वर्षों के ऐसे कार्य जिनकी पूर्णता की अवधि 31.03.2017 से पूर्व की न हो, की अवधि में किसी एक वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण / विकास कार्य कराने का न्यूनतम अनुभव 'ए' श्रेणी हेतु कुल रु. 200.00 लाख, 'बी' श्रेणी हेतु कुल रु. 100.00 लाख एवं 'सी' श्रेणी हेतु कुल रु. 50.00 लाख का राजकीय विभागों / राजकीय संस्थाओं / सार्वजनिक उपक्रमों में किये जाने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसी प्रकार विद्युतीकरण के कार्यों के लिए विगत 04 वित्तीय वर्षों अर्थात् 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2021 की अवधि में किसी एक वित्तीय वर्ष में आपूर्ति एवं स्थापना कार्य कराने का न्यूनतम अनुभव 'ए' श्रेणी हेतु कुल रु. 100.00 लाख, 'बी' श्रेणी हेतु कुल रु. 50.00 लाख, 'सी' श्रेणी हेतु कुल रु. 20.00 लाख का 'डी' श्रेणी हेतु कुल रु. 10.00 तथा 'ई' श्रेणी हेतु कुल रु. 0.05 लाख का राजकीय विभागों /

राजकीय संस्थाओं / सार्वजनिक उपक्रमों में किये जाने का प्रमाण पत्र देना होगा। श्रेणी-डी वर्क के ठेकेदारों के लिये अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) सभी आवश्यक प्रपत्र एवं अभिलेख आवेदन फार्म के साथ ही संलग्न करने होंगे।

(3) नवीनीकरण के लिये विगत वर्ष 2022-23 में पंजीकृत फर्म / ठेकेदार ही आवेदन कर सकेंगे। विगत वर्ष 2022-23 में पंजीकृत फर्म / ठेकेदार द्वारा नवीनीकरण शुल्क के साथ लिक्विड एसेट्स प्रमाण पत्र / अनुभव प्रमाण पत्र / 'वर्क इन हैंड' प्रमाण पत्र / चरित्र प्रमाण पत्र आदि निर्धारित तिथि तक ही मान्य होंगे। जिन पंजीकृत फर्मों / ठेकेदारों द्वारा विगत वर्ष 2022-23 में नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वे वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे, अपितु उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सभी आवश्यक प्रपत्र एवं अभिलेख जमा करते हुए नवीन पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

(4) ठेकेदारों को पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ जी.एस.टी. ई.पी.एफ. / ई.एस.आई. / सेवाकर के पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनके पंजीकरण / नवीनीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

25. ठेकेदार का पंजीकरण एक बार में केवल एक वर्ष के लिये किया जायेगा, जो चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वैध होगा। इसी प्रकार विगत वर्ष 2022-23 में पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण एक वर्ष के लिये किया जायेगा, जो चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति तक वैध होगा।

26. बी.ई./बी.टेक (सिविल) एवं समकक्ष डिग्री धारकों / डिप्लोमा होल्डर्स, का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के 'सी' श्रेणी में किया जा सकता है, परन्तु ऐसे आवेदकों को अन्य सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी।

27. वेटमिक्स प्लान्ट तथा हाट मिक्स प्लान्ट आधारित कार्यों के लिये मात्र 'ए' श्रेणी में पंजीकरण कराना होगा। ऐसे ठेकेदार जो बस्ती में निजी स्वामित्व का वेटमिक्स प्लान्ट तथा हाट मिक्स प्लान्ट स्थापित कर कार्य करना चाहे, निविदा में भाग ले सकेंगे, परन्तु उन्हें निविदा स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन से पूर्व पंजीकरण की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर 'ए' श्रेणी में पंजीकरण कराना होगा। वेटमिक्स प्लान्ट तथा हाट मिक्स प्लान्ट की धारिता के सम्बन्ध में अन्य एजेन्सी से किया गया एम.ओ.यू. / लीज / किरायेदारी मान्य नहीं होगी।

28. शिरोपरि जलाशय हेतु उन्हीं ठेकेदारों का पंजीकरण किया जायेगा, जिन्हें विगत चार वर्षों में शिरोपरि जलाशयों के निर्माण का अनुभव हो। पूर्णता प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियन्ता से कम के स्तर का मान्य नहीं होगा। शिरोपरि जलाशय वर्ग में 'ए' श्रेणी में पंजीकरण होगा तथा 'ए' श्रेणी की पंजीकरण हेतु समस्त अर्हताएँ पूर्ण करनी होंगी, जो किसी भी कार्य धनांक के लिये मान्य होगा।

29. विद्युतीकरण कार्य हेतु उन्हीं ठेकेदारों का पंजीकरण / नवीनीकरण किया जायेगा, जो निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त 'क' श्रेणी / 'क' श्रेणी अनुमोदित विद्युत लाइसेन्स धारक हो। निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ.प्र. शासन लखनऊ से प्राप्त 'क' श्रेणी / 'क' श्रेणी अनुमोदित लाइसेन्स संलग्न करना होगा, जो पंजीकरण / नवीनीकरण अवधि के लिए वैध होना चाहिए।

एक व्यक्ति एक ही फर्म में प्रोपराइटर अथवा साझीदार हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति किसी अन्य फर्म में भी प्रोपराइटर अथवा साझीदार पाया जाता है तो उसे सम्बन्धित फर्मों को ब्लैक लिस्ट करने अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार उपाध्यक्ष, बस्ती विकास प्राधिकरण में सुरक्षित होगा। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

30. पंजीकरण / नवीनीकरण का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना

1. प्राधिकरण में पंजीकरण / नवीनीकरण होने व पंजीकरण शुल्क जमा कर देने के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म को परिशिष्ट-6 के अनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

2. पंजीकरण / नवीनीकरण एक वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च 2024 तक के लिए वैध होगा।

3. किसी ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र किसी कारण से खराब हो जाये अथवा खो जाये तो उसे उक्त घटना का स्वीकार्य कारण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर डुप्लीकेट पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

श्रेणी	शुल्क
1. 'ए' श्रेणी	रु. 5000.00
2. 'बी' श्रेणी	रु. 3000.00
3. 'सी' श्रेणी	रु. 2000.00
4. 'डी' श्रेणी	रु. 1000.00
5. 'ई' श्रेणी	रु. 500.00

31. वांछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ जमा न करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से, आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।
32. पंजीकृत ठेकेदार को बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
33. किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, बस्ती विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
34. बस्ती विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विवाद की मध्यस्थता स्वयं करें या किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें। इस प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष का मान्य होगा।
35. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म अपने निर्धारित श्रेणी से एक श्रेणी नीचे के कार्यों में निविदा में भाग ले सकते हैं।
36. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ समस्त वांछित विवरण के होते हुए भी पंजीकरण के संबंध में उपाध्यक्ष, बस्ती विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।



परिशिष्ट संख्या-1

प्रत्येक श्रेणी के निर्माण कार्यों पर निम्नानुसार स्टाफ रखना होगा। (10/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

श्रेणी	(विशिष्ट एवं 'ए')	श्रेणी ('बी')	श्रेणी ('सी')	श्रेणी ('डी')/('ई')
	एक ग्रेजुएट सिविल/विद्युत/यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक इंजीनियर या एक डिप्लोमा सिविल/विद्युत/यांत्रिक इंजीनियर जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो	एक डिप्लोमा सिविल/विद्युत/यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक इंजीनियर जिसे कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो	एक डिप्लोमा सिविल/विद्युत/यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक इंजीनियर	

जिसे निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

क्र०सं०	नाम एवं पता	तकनीकी अर्हता	पदनाम	दिनांक जहाँ से निरन्तर सेवा प्रारम्भ की हो
1	2	3	4	5

निर्माण कार्यो पर विभिन्न मशीनरी आदि का सूची:- (10/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

सिविल कार्य :-

क्रमांक	मशीनरी का नाम	'ए'	'बी'	'सी'	'डी'	'ई'
1.	कंकरीट मिक्सर	2	2	1	1	1
2.	वाइब्रेटर्स	3	2	2	1	1
3.	पम्पस्	2	1	1	1	1
4.	पोकलेन	1	—	—	—	—
5.	डीजल जनरेटिंग सैट 25 कि. वाट	1	—	—	—	—
6.	ट्रैक्टर	1	—	—	—	—
7.	रोड रोलर	1	—	—	—	—
8.	थियोडोलाइट	1	—	—	—	—
9.	लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित	2	—	—	—	—
10.	बिटुमिन बायलर	1	—	—	—	—

विद्युत कार्य :-

क्रमांक	मशीनरी का नाम	मात्रा
1.	मेगर 500 वोल्ट / 2.5 केवी	01 नग
2.	अर्थ टेस्टर	01 नग
3.	टैन्ग टेस्टर	01 नग
4.	ब्रूडिंग टूल	01 नग
5.	सेपटी बेल्ट	04 नग
6.	हेलमेट	04 नग
7.	एम्पियर मीटर	01 नग
8.	वोल्ट मीटर	04 नग
9.	ग्लोब्स	01 नग
10.	मल्टीमीटर	01 नग
11.	अर्थ चैन	01 नग

परिशिष्ट संख्या-3

सिविल/विद्युत कार्यो हेतु पंजीकरण शुल्क, लिक्विड एसेट एवं टेन्जिबल नेटवर्थ का विवरण
सिविल कार्य :- (वित्तीय वर्ष-2023-24 हेतु)

श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की क्षमता	पंजीकरण शुल्क (रु० में) (जमा फीस वापसी नहीं) (एक वर्ष हेतु)	नवीनीकरण शुल्क (रु० में) (जमा फीस वापसी नहीं) (एक वर्ष हेतु)	लिक्विड एसेट प्रमाण-पत्र (रु० लाख में) (नोट-1)	टेन्जिबल नेटवर्थ प्रमाण-पत्र (रु० लाख में) (नोट-2)
"ए"	रु० 100 लाख से अधिक 200 लाख तक	रु० 50,000/- (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	15000.00 (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	30.00	50.00
"बी"	रु० 50 लाख से अधिक 100 लाख तक	रु० 25,000/- (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	10000.00 (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	15.00	25.00
"सी"	रु० 20 लाख से अधिक 50 लाख तक	रु० 20,000/- (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	5000.00 (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	7.50	12.50
"डी"	रु० 10 लाख से अधिक 20 लाख तक	रु० 15,000/- (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	3000.00 (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	5.00	10.00
"ई"	रु० 10 लाख तक	रु० 10,000/- (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	2000.00 (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	5.00	10.00

विद्युत कार्य :- (वित्तीय वर्ष-2023-24 हेतु)

श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की क्षमता	पंजीकरण शुल्क (रु० में) (जमा फीस वापसी नहीं) (एक वर्ष हेतु)	नवीनीकरण शुल्क (रु० में) (जमा फीस वापसी नहीं) (एक वर्ष हेतु)	लिक्विड एसेट प्रमाण-पत्र (रु० लाख में) (नोट-1)	टेन्जिबल नेटवर्थ प्रमाण-पत्र (रु० लाख में) (नोट-2)
"ए"	रु० 50 लाख से अधिक 100 लाख तक	रु० 50,000/- (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	15000.00 (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	15.00	25.00
"बी"	रु० 25 लाख से अधिक 50 लाख तक	रु० 25,000/- (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	10000.00 (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	7.50	12.50
"सी"	रु० 10 लाख से अधिक 25 लाख तक	रु० 20,000/- (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	5000.00 (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	7.50	12.50
"डी"	रु० 5 लाख से अधिक 10 लाख तक	रु० 10,000/- (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	2500.00 (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	5.00	10.00
"ई"	रु० 5 लाख तक	रु० 5000/- (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	2000.00 (18% जी०एस०टी० अतिरिक्त)	3.00	7.00

नोट-1 :- राष्ट्रीयकृत/शिडयूल बैंक से परिशिष्ट सं०-4 के प्रारूप में प्रमाण-पत्र जो छः माह से पूर्व का न हो प्रस्तुत करना होगा।

नोट-2 :- टेन्जिबल नेटवर्थ की गणना अन्तिम आडिटेड बैलेन्सशीट के आधार पर निम्नानुसार होनी चाहिए :-

'Net Worth will mean value of Fixed Assets as per last Audited balance sheet (after providing Depreciation) Plus Net working Capital (current Assets minus current Assets currents liabilities)'



परिशिष्ट संख्या-4

प्रमाणित किया जाता है कि मै0
प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम
निवासी
.....
गत वर्षों से हमारे खातेदार है एवं जिनका व्यवहार संतोषजनक है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उनका लिक्विड एसेट्स रू0 लाख से अधिक है।

दिनांक :

बैंक मैनेजर का नाम व हस्ताक्षर
सील सहित

परिशिष्ट संख्या-5

1. बस्ती विकास प्राधिकरण में विगत चार वित्तीय वर्षों में पूर्ण किये गये कार्य :-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं. एवं दिनांक	अनुबन्ध की धनराशि (रु. लाख में)	कार्य की समापन लागत (रु. लाख में)	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	अभियन्त्रण जोन	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. बस्ती विकास प्राधिकरण में विगत चार वित्तीय वर्षों/वर्तमान वर्ष में प्रगतिमान कार्यों का विवरण:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं. एवं दिनांक	अनुबन्ध की धनराशि (रु. लाख में)	कार्य की प्रारम्भ तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	अब तक किये गये कार्य की धनराशि (रु. लाख में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. अन्य विभागों में विगत चार वित्तीय वर्षों में पूर्ण किये गये कार्य :-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	विभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं० एवं दिनांक	अनुबन्ध धनराशि (रु० लाख में)	कार्य की समापन लागत (रु. लाख में)	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

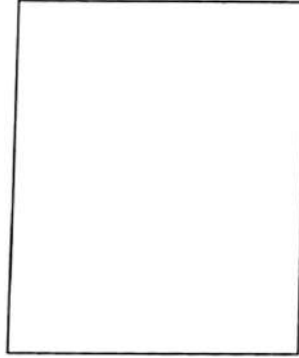
4. अन्य विभागों में विगत वित्तीय वर्षों / वर्तमान वर्ष में प्रगतिमान कार्यों का विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	विभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं० एवं दिनांक	अनुबन्ध धनराशि (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	अब तक किये गये कार्य की धनराशि (रु. लाख में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9

परिशिष्ट-6
पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र

कार्यालय बस्ती विकास प्राधिकरण, बस्ती
पता-गांधी कला भवन, फौव्वारा तिराहा, बस्ती

पत्रांक :- / / / / 2023-24 दिनांक



प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स / सर्वश्री

पता

प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सिविल/विद्युत/शिरोपरि जलाशय/वेटमिक्स
प्लान्ट तथा हाट मिक्स प्लान्ट आधारित कार्यों हेतु श्रेणी में
दिनांक तक के लिए पंजीकृत/नवीनीकृत है।

अधिशायी अभियंता,
बस्ती विकास प्राधिकरण,
बस्ती।



बस्ती विकास प्राधिकरण, बस्ती
गांधीकला भवन, फौव्वारा तिराहा, कटरा, बस्ती पिन-272001